पत्रांक-भवन/बजट-16-योजना(विधि विभाग)-01/2019-20. . . . . .6505 (भ)

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार (ले एवं हक), बिहार,

वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना,दिनांक:- 15/7/26

विषय:- विधि विभाग की योजनाओं के निर्माण कार्य के निमित रैयती भूमि अर्जित करने हेतु वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल राशि ₹ **7,57,01,901/- (सात करोड़ संतावन लाख एक हजार नौ सौ एक रूपये)** मात्र के व्यय की स्वीकृति ।

आदेश:- स्वीकृत ।

कार्यपालक अभियंताओं द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से समर्पित अधियाचना के आलोक में विधि विभाग की योजनाओं के निर्माण कार्य के निमित रैयती भूमि अर्जित करने हेतु निम्न विवरणीनुसार कुल राशि ₹ **7,57,01,901/- (सात करोड़ संतावन लाख एक हजार नौ सौ एक रूपये)** मात्र के व्यय की स्वीकृति **वित्तीय वर्ष 2026-27** में प्रदान की जाती है :-

क्रमांक	प्रमंडल का नाम	अधियाचना	योजना का नाम	स्वीकृत्यादेश संख्या/दिनांक	वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए व्यय हेतु स्वीकृत राशि
01.	भवन प्रमंडल, लखीसराय	पत्रांक-904अनु०, दिनांक-29.05.26	लखीसराय में ए०डी०आर० भवन निर्माण के निमित 39.923 डिसमिल रैयती भूमि अर्जित करने हेतु	5783/ 17.09.24	34701321 (तीन करोड़ सैतालिस लाख एक हजार तीन सौ इक्कीस रूपये)
02.	भवन प्रमंडल, बक्सर	पत्रांक-590अनु०, दिनांक-08.04.26	बक्सर जिला अन्तर्गत डुमरॉव अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय भवन एवं न्यायिक पदाधिकारियों के आवास तथा वकालतखाना निर्माण के निमित 5.33 एकड़ रैयती भूमि अर्जित करने हेतु	6277/ 25.09.25	41000580 (चार करोड़ दस लाख पॉच सौ अस्सी रूपये)
			कुल राशि		75701901

(सात करोड़ संतावन लाख एक हजार नौ सौ एक रूपये)

2. उक्त कार्य पर राशि का मांग संख्या-03 के मुख्यशीर्ष-4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-01-सरकारी रिहायशी भवन, लघुशीर्ष-700-अन्य आवास, उपशीर्ष-0105-न्यायाधीशों का आवास (विधि विभाग), **विपत्र कोड-03-4216017000105** के विषयशीर्ष-53-मुख्य कार्य-0105.53.02- भू-अर्जन मद अन्तर्गत वर्त्तमान **वित्तीय वर्ष 2026-27** में किया जायेगा ।
3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, संबंधित भवन प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग होंगे ।
4. इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी ।
5. प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।
6. स्वीकृत राशि के विरूद्ध आवंटन की कार्रवाई सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से की जा रही है।
7. कार्यपालक अभियंता द्वारा उक्त राशि संबंधित समाहर्ता को उपलब्ध कराया जायेगा ।

15/7/26

(राजेश कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:- 6505 (भ) पटना, दिनांक:- 15/7/26

प्रतिलिपि:-सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना/ जिला पदाधिकारी, संबंधित/ कोषागार पदाधिकारी, संबंधित जिला कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/7/26

सरकार के अपर सचिव।